16/4/25

पत्रावली आज कोर्ट कैम्प कोर्ट
में पक्षकारान के राजीनामे पर
पेश हुई मूलवाद में राजीनामे के
आधार पर फैसला हो चुका है
लिहाजा उक्त ~~अब~~ प्रार्थना पत्र
सारहीन होने के खारिज (किया जाता है)
निर्णय खुले इजलास पढ़कर सुनाया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल
दफ्तर हो।

Ah